

समाजसेवा समित्यांच्या अर्थसंचालक (व. १०) पीपाड शहर (जोधपूर)
 पीपाड शहर, श्री. लक्ष्मी नारायण कुमारे व. १०

संपन्न मालकाचे पत्र क्र. ३३/२०१९

प्राणी : पणम

समजावार्त पुन संश्लेषण झाले
 संश्लेषण आले नंतरची विवाची
 स्वतंत्रपुत्र सहरील पीपाड शहर
 जिल्हा जोधपूर ।

१. जोधपूर पुन संश्लेषण झाले
२. वेणाडपुन पुन संश्लेषण झाले
३. गुरणी पंथि जोधपूर
४. श्री. लक्ष्मी नारायण कुमारे विवाची
 सहरील पीपाड शहर जिल्हा जोधपूर ।
५. सहरीलनार पीपाड शहर ।

प्राण्या पत्र अन्तर्गत धारा १३६ मू. राजस्व अधिनियम

संश्लेषण :

प्राणी श्री. लक्ष्मी नारायण कुमारे
 अपात्री सहरीलनार पीपाड शहर

निर्णय

दिनांक : ३०.०८.२०१९

प्राणी ने एक प्राण्या पत्र अन्तर्गत धारा १३६ मू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम स्वतंत्रपुत्र सहरील पीपाड शहर जिल्हा जोधपूर का मूल विवाची एवं कृषि कार्य करके अपने एवं अपने परिवार का जीवन समन करते हैं। ग्राम स्वतंत्रपुत्र सहरील जिल्हा स्वतंत्रपुत्र मू. अमिलेश विरीकाक चौकडी कला सहरील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्राणी की संयुक्त खातेवाची की भूमि खसरा नम्बर ११३ रकबा १.४६६२ हैक्टर किस्म बाराची चतुर्थ, खसरा नम्बर ११३/२ रकबा ०.३१६६ हैक्टर बाराची चतुर्थ, खसरा नम्बर ११६ रकबा ०.२०२३ हैक्टर किस्म बाराची तृतीय, खसरा नम्बर ११७ रकबा २.१४३० रकबा हैक्टर किस्म बाराची तृतीय, खसरा नम्बर ११९ रकबा ०.६४७२ हैक्टर किस्म बाराची तृतीय, खसरा नम्बर १२० रकबा ०.२८३२ हैक्टर किस्म बाराची तृतीय, खसरा नम्बर १२१ रकबा ०.२२६६ हैक्टर किस्म बाराची कुल खसरे ८ कुल रकबा ६.०१९१ हैक्टर भूमि आई हुई है जिसका खाता सं. नया ३२८ व खाता सं. पुराना २८९ है। इसी प्रकार ग्राम स्वतंत्रपुत्र सहरील जिल्हा स्वतंत्रपुत्र मू. अमिलेश विरीकाक चौकडी कला सहरील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्राणी की संयुक्त खातेवाची की कृषि भूमि खसरा नम्बर ११४ रकबा ०.६०९७ हैक्टर किस्म बाराची चतुर्थ, खसरा नम्बर ११६ रकबा ०.८६६६ हैक्टर किस्म बाराची तृतीय, कुल खसरे २ कुल रकबा १.३७६३ भूमि आई हुई है जिसका खाता सं. नया ३३० व खाता सं. पुराना २९१ है इसी प्रकार ग्राम माडपुरीया सहरील जिल्हा स्वतंत्रपुत्र मू. अमिलेश विरीकाक चौकडी कला सहरील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्राणी की संयुक्त खातेवाची की कृषि भूमि खसरा नम्बर २८६ रकबा १.७१६१ हैक्टर किस्म बाराची चतुर्थ, खसरा नम्बर २८६ रकबा ०.६०६६ हैक्टर किस्म बाराची चतुर्थ कुल खसरे २ कुल रकबा २.३२१९ हैक्टर भूमि आई हुई है। इसी प्रकार ग्राम माडपुरीया सहरील जिल्हा स्वतंत्रपुत्र

समजावार्त अर्थसंचालक (जोधपूर)

श्री अभिलेख निरीक्षक चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरानम्बर 279/2 रकबा 0.3236 हैक्टर किस्म बरानी चतुर्थ आई हुई है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थी का नाम पहचानपत्र, आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम रामकुमार पुत्र भैरुराम दर्ज है। जबकि जो प्रार्थी के नाम ग्राम खवासपुरा व माडपुरीया में स्थित भूमियों में नाम रामकंवर पिता भैरुबक्श दर्ज है। रामकंवर व रामकुमार दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में रामकंवर कहे जाने से इनके नाम से जो भूमिया दर्ज हुई है उक्त भूमियों में रामकंवर नाम दर्ज हो गया जबकि पहचान पत्र, आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र भैरुराम दर्ज है। प्रार्थी रामकुमार अपने नाम की जो राजस्व रेकॉर्ड में जो इन्द्राज में त्रुटि हुई है उस त्रुटि को दूरस्त करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की पद सं. 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयो में रेकॉर्ड दुरुस्त फरमाया जाकर रामकंवर पिता भैरुबक्श के स्थान पर प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र भैरुराम दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे। अन्य अनुतोष हित प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम खवासपुरा के खाता सं. 328, 330 व ग्राम माडपुरीया के खाता सं. 105, 119 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एवं ग्राम पंचायत खवासपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर रामकंवर पुत्र भैरुबक्श के स्थान पर रामकुमार पुत्र भैरुबक्श उर्फ भैरुराम दुरुस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खवासपुरा के खाता सं. 328, 330 व ग्राम माडपुरीया के खाता सं. 105, 119 में दर्ज नाम रामकंवर पुत्र भैरुबक्श के स्थान पर रामकुमार पुत्र भैरुबक्श उर्फ भैरुराम दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

